भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि भवन, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली–110 001
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110 001

फा0सं0 रा0भा0 3(3)/2017–हिन्दी दिनांक : 05 जनवरी, 2017

सेवा में,

भा.कृ.अनु.प. के अधीनस्थ सभी संस्थानों/निदेशालयों/ब्यूरो/केन्द्रों के निदेशक

विषय :– गणेश शंकर विद्यार्थी हिन्दी पत्रिका पुरस्कार के अंतर्गत प्रविष्टियां भेजने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान पत्रिकाएं/गृह पत्रिकाएं प्रकाशित करने वाले संस्थानों को पुरस्कार दिए जाते हैं। इसी क्रम में वर्ष 2015–16 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पिछले वित्तीय वर्ष **(अर्थात 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016)** के दौरान प्रकाशित पत्रिकाओं की पांच–पांच प्रतियां **दिनांक 03 फरवरी, 2017** तक परिषद मुख्यालय को भिजवाने की कृपा करें। इस योजना की नियमावली और मूल्यांकन मानदण्ड परिषद की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए है। फिर भी, उसकी एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए इस पत्र के साथ प्रेषित है।

संलग्नक : उपर्युक्त वर्णित

भवदीया

सीमा चोपड़ा 5.1.17

(सीमा चोपड़ा)
निदेशक (रा0भा0)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि भवन, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली–110 001
ICAR Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110 001

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय, नई दिल्ली के अधीन आने वाले विभिन्न संस्थानों/ निदेशालयों / ब्यूरो/ केन्द्रों द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाओं/गृह पत्रिकाओं को पुरस्कार देने हेतु नियमावली

पुरस्कार का नाम

1. परिषद के विभिन्न संस्थानों/निदेशालयों/ब्यूरो/ केन्द्रों आदि में हिन्दी में प्रकाशित पत्रिकाओं/गृह पत्रिकाओं को पुरस्कृत करने से संबंधित इस पुरस्कार का नाम **"गणेश शंकर विद्यार्थी हिन्दी पत्रिका पुरस्कार"** है।

पुरस्कार किसकी ओर से दिया जाएगा

2. यह पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाता है।

पुरस्कार का स्वरूप

3. अब तक यह पुरस्कार परिषद के संस्थानों आदि द्वारा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में प्रकाशित हिन्दी प्रकाशनों के लिए दिया जाता था। परन्तु वर्ष 2013 से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में हिन्दी में प्रकाशित पत्रिकाओं/गृह पत्रिकाओं के लिए दिया जा रहा है। इसमें इस वर्ष अर्थात् 2015–16 से संशोधन किया गया है। यह पुरस्कार अब 'क' और 'ख' क्षेत्र के संस्थानों से प्रकाशित पत्रिकाओं के लिए तीन पुरस्कार क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के रूप में शील्ड और ट्रॉफियां दी जायेंगी तथा 'ग' क्षेत्र के संस्थानों से प्रकाशित पत्रिकाओं के लिए भी तीन पुरस्कार क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के रूप में शील्ड और ट्रॉफियां दी जायेंगी।

पुरस्कार का उद्देश्य

4. इस पुरस्कार का उद्देश्य परिषद के विभिन्न संस्थानों द्वारा हिन्दी में प्रकाशित/गृह पत्रिकाओं में परस्पर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा और एकरूपता लाकर उनमें उत्कृष्टता लाना है।

पुरस्कार संबंधी प्रशासकीय व्यवस्था

5. पुरस्कार के चयन संबंधी नियम निर्धारित करने और पुरस्कार प्राप्तकर्ता/कर्ताओं के चयन का सम्पूर्ण अधिकार परिषद का है।
6. इन पुरस्कारों पर होने वाला व्यय प्रतिवर्ष मुख्यालय के स्वीकृत बजट से वहन किया जाता है।

पुरस्कार के लिए पात्रता

7. यह पुरस्कार व्यक्तिगत न होकर संस्थान स्तर पर दिया जाता है। परिषद के अधीनस्थ वे सभी संस्थान/निदेशालय/ब्यूरो/केन्द्र आदि इस योजना में भाग ले सकते हैं जो अपने स्तर पर वित्तीय वर्ष के दौरान हिन्दी में कोई पत्रिका/गृह पत्रिका का एक या इसमें अधिक अंक प्रकाशित करते हैं।
8. पुरस्कार के लिए चयन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान हिन्दी में प्रकाशित पत्रिका/गृह पत्रिकाओं में से किया जाता है। पुरस्कार हेतु चयन की प्रक्रिया प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद शुरू की जाती है।

पुरस्कार के लिए चयन की क्रियाविधि

9. पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए परिषद की ओर से संस्थानों आदि को सूचना भेजी जाती है।

10. सभी संस्थानों आदि को प्रविष्टि सूचना पत्र में इंगित तारीख तक निदेशक (रा०भा०) के नाम से परिषद के पते पर भेजनी होती है।

11. मूल्यांकन समिति द्वारा निर्णय किए जाने के पश्चात् पुरस्कार की सूचना संबंधित कार्यालय को दी जाती है।

12. यदि किसी वर्ष उपरोक्त वर्गों के लिए पुरस्कार के योग्य प्रविष्टि/प्रविष्टियां प्राप्त नहीं होती हैं तो उस वर्ष संबंधित वर्ग के लिए पुरस्कार की घोषणा नहीं की जाएगी।

13. मूल्यांकन समिति की संस्तुति के बाद ही महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पुरस्कार स्वीकृत किया जाता है और इसकी घोषणा सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नामित अधिकारी द्वारा की जाती है।

14. यह पुरस्कार वर्ष 2013 से संस्थानों के निदेशकों की बैठक में प्रदान किया जाता है।

मूल्यांकन समिति

15. सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नामित अधिकारी/विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष होता है तथा निदेशक (रा०भा०)/उप निदेशक (रा०भा०) सदस्य सचिव होते हैं।
16. समिति के अध्यक्ष और कम से कम दो सदस्य होंगे जिनकी संख्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुमति से बढ़ाई जा सकती है।

मूल्यांकन समिति का सदस्य सचिव

(क) समिति के अध्यक्ष व प्रत्येक सदस्य को मूल्यांकन मानदण्ड की एक–एक प्रति भेजी जाती है।

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि समिति के अध्यक्ष व सदस्य संलग्न मानदंडों (अनुबंध–I) के आधार पर अलग–अलग पत्रिका/गृह पत्रिकाओं का मूल्यांकन करें।

(ग) यह देखेगा कि मूल्यांकन समिति की बैठक बुलाई जाए जिसमें सदस्यों द्वारा प्रदत्त संस्तुतियों के आधार पुरस्कार के लिए अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

(घ) मूल्यांकन समिति के सदस्य/सदस्यों को प्रविष्टि के विषय में यदि कोई विशेष जानकारी चाहिए तो वह उसे संबंधित संस्थान आदि से लेकर उपलब्ध कराएगा।

(ड) पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के चयन के लिए निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार चुने गए पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा के लिए परिपत्र जारी करेगा।

सीमा चोपड़ा
5.1.17

(सीमा चोपड़ा)
निदेशक (रा0भा0)

मूल्यांकन के लिए मानदंड

क्र. सं.	शीर्षक	विवरण	अंक
1	मुद्रण	• समय पर प्रकाशन • रिपोर्ट की साज-सज्जा, चित्रों, तालिकाओं, पत्रों इत्यादि का आकार ए-4/परिषद से प्रकाशित 'खेती' पत्रिका के समरूप • आवरण पृष्ठ सहित समग्र रूप से प्रस्तुतीकरण • पत्रिका/गृह पत्रिका के माध्यम से संस्थान की पहचान	25
2.	विषयसूची की प्रकृति	• फार्मेट के अनुसार उपयुक्त क्रम में पूर्ण विवरण • बिना पुनरावृत्ति के समस्याओं के समाधान से संबंधित अनुसंधान उपलब्धियां, अधिदेश के अनुसार अनुसंधान कार्यसूची • अनुसंधान नियोजन की वैज्ञानिकता • स्पष्ट परिणाम • उपयुक्त चित्र एवं तालिकाएं	25
3	विषयों की गुणवत्ता	• मौलिकता, नवीनता, सृजनात्मकता • अनुसंधान/शिक्षण/विस्तार कार्य में उत्कृष्टता - पुरस्कार, सम्मान, मान्यता इत्यादि • संस्थान की विषय-वस्तु से संबंधित लोकप्रिय अनुसंधान लेख/राजभाषा लेख, गतिविधियां व संस्थान के प्रकाशन	25
4	संपादन	• व्याकरण, वर्ण विन्यास, भाषा की गुणवत्ता • भाषा-प्रवाह, सामंजस्य, पठनीयता • संक्षिप्तता, सारगर्भिता, शुद्धता • अभिव्यक्ति में सुस्पष्टता, उपयुक्त तकनीकी शब्दावली का प्रयोग • उपयुक्त शीर्षक, उप-शीर्षक व उनके "फोटो" का आकार	25
		कुल =	100